[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 10/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि....(अ).— केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परियोजना आयात विनियमन, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-
 - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम परियोजना आयात (संशोधन) विनियमन, 2021 है।
 - (2) ये 2 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परियोजना आयात विनियमन, 1986 की सारणी में क्रम सं. 3चच और उससे संबंधित प्रविष्टयों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां परियोजना अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

क्रम संख्यां	संयंत्र या परियोजना का नाम	प्रायोजक करने वाले प्राधिकारी
''3चचच	उच्च गति रेल परियोजना	राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड।''।

3. यह अधिसूचना २ फरवरी, २०२१ को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. ३३४/०२/२०२१-टीआरयू]

(राजीव रंजन) अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. 230/1986-सीमाशुल्क, तारीख 3 अप्रैल,1986 को भारत के राजपत्र, सं. सा.का.नि.580(अ), तारीख तारीख 3 अप्रैल,1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं.24/2017-सीमाशुल्क, तारीख 23 जून, 2017 द्वारा संशोधित तथा संख्या सा.का.नि. 628 (अ), तारीख 23 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।